

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर (राज.)।

कान्फ्रेन्स हॉल न0 1, 2 व 3

क्र.सं.		धारा 4(1)(ख) के तहत 17 श्रेणियों का विवरण
1.	संगठन का विवरण अनुभाग।	राजस्थान पुलिस अकादमी कान्फ्रेन्स हॉल न0 1, 2 व 3, 4
2.	अधिकारियों/ कर्मचारियों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ।	(क) सहायक निदेशक (सी.डी.पी.एस.एम.), आरपीए, जयपुर। कान्फ्रेन्स हॉल से संबंधित समस्त कार्यों का प्रबन्धन एवं पर्यवेक्षण। (ख) प्रभारी कान्फ्रेन्स हॉल। कान्फ्रेन्स हॉल की देखभाल एवं कार्यक्रमों का सम्पादन। (ग) सहायक स्टाफ। प्रदत्त कार्यों का सम्पादन।
3.	निर्णय बनाने के लिए प्रक्रिया।	सहायक निदेशक (सी.डी.पी.एस.एम.), के एवं समुचित माध्यम द्वारा प्रस्ताव प्रेषित कर निदेशक महोदय के अनुसार निर्णय किये जाते हैं।
4.	कार्यों के निर्वहन के लिए मानदण्ड।	निदेशक आर.पी.ए. द्वारा जारी आदेशों, परिपत्रों एवं समस्त निर्देशों के अनुरूप कार्य पूर्ण करवाना एवं दायित्वों के सम्बन्ध में जारी मानक कार्य प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के अनुसार विविध कार्यों का निर्वहन।
5.	कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम।	➤ RSR, RPR, Other Circular Issued by PHQ ➤ प्रशिक्षण निदेशालय, निदेशक आर.पी.ए. द्वारा जारी नियम, विनियम, परिपत्रों के अनुसार कार्यों का सम्पादन।
6.	श्रेणियों का विवरण।	<ul style="list-style-type: none"> ● स्टॉक रजिस्टर ● आदेश पत्रावली ● डिमांड बाऊचर आदि पत्रावलियां संधारित करना।
7.	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।
8.	परामर्शदात्री समितियां अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।
9.	अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका।	सहायक निदेशक (सी.डी.पी.एस.एम.) फोन नं. 0141-2302633 पीबीएक्स - 539.
10.	अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक।	लेखा शाखा।
11.	बजट प्रत्येक एजेन्सी को आवंटित।	लेखा शाखा।

12.	सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन।	लागू नहीं।
13.	रियायते, परमिट पाने वाले का ब्यौरा।	लागू नहीं।
14.	एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचना।	राजस्थान पुलिस अकादमी की वेबसाइट।
15.	नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं।	लागू नहीं।
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पदनाम विशिष्टताएं।	सहायक निदेशक (प्रशासन) लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक आरपीए प्रथम अपील अधिकारी।
17.	ऐसी अन्य सूचनाएं।	विभाग द्वारा समय-समय सम्बन्धित सूचना को प्रकाशित किया जाता है।